16/11/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील प्राप्त है जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता सृष्टि गर्ग हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार को कोई उज्र-एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 081/2020(रे.वि.) निर्णय दिनांक 02.02.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थी अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 081/2020(रे.वि.) निर्णय दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	02.02.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/1007 दिनांक 20.10.2021 से न्यायालय हाजा को प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत रूपये 2514722/- अक्षरे पच्चीस लाख चौदह हजार सात सौ बाईस रूपये मात्र का चैक संख्या 016903 तादादी रूपये 2514722/- दिनांक 11.02.2021 जो कि अप्रार्थी उंकारलाल पिता भगवाना मेघवाल के नाम पर जारी किया गया है शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है उक्त चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को मूल ही लौटाया जावें एवं चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय आदेश दिनांक 02.02.2021 अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	ता.ह. 16/11/21

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official